न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आरसीटी 86/17 दांडिक प्रकरण क.-80/17 संस्थापित दिनांक-24.03.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :--आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। अभियोजन विरुद्ध 01—लुकमान पुत्र आजमअली आयु 32 वर्ष निवासी टिकेटगंज जिला बाराबंकी उ०प्र0 02-जियाउददीन पुत्र आजमअली आयु 49 वर्ष 03—अमीरहसन पुत्र मोहम्मद धनीफ आयु 48 वर्ष निवासी जगतनारायण रोड बजीरगंज उ०प्र0 04-शिवप्रतापसिह पुत्र धगराजसिह राजपूत आयु 62 वर्ष निवासी खरियानी पोष्ट निदोरा जिला बाराबंकी उ०प्र० आरोपीगण :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

-: <u>निर्णय</u> :--(आज दिनांक 10.01.2018 को घोषित)

राज्य द्वारा

आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह

आरोपीगण द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता।

अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए/34 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी बेबी कायनात ने दिनांक 01.01.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका विवाह आरोपी लुंकमान से दिनांक 15.02.16 को हुआ था तथा विवाह उपरांत वह बाराबंकी पहुची थी। फरियादी के अनुसार आरोपी विवाह के उपरांत उससे मारपीट करने लगा तथा उस पर गलत आरोप लगाने लगे। फरियादी के अनुसार आरोपीगण चंदेरी भी आए तथा उसके साथ घर में मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 02/17 के अंतर्गत भादवि की धारा 498ए/34 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए/34 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- क्या आरोपीगण ने दिनांक 15.02.16 को विवाह के बाद से फरियादिया बेबी कायनात के नातेदार होते हुए उसके साथ शारीरिक व
- मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की ?
 क्या आरोपीगण ने फरियादिया बेबी कायनात से दहेज की मांग

की एवं उसे दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 बेबी कायनात एवं अ.सा. 2 आसमा परवीन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- अभियोजन साक्षी 01 बेबी कायनात ने अपने कथन में बताया है कि वह 07— आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार उसका आरोपी लुकमान से वर्ष 2016 मे विवाह हुआ था। अ.सा.१ के अनुसार आपसी घरेलू वाद विवाद पर से उसका आरोपीगण से झगडा हो गया था तथा और कुछ नहीं हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने गुस्से मे आरोपीगण के विरूद्ध प्र0पी01 का आवेदन पत्र थाना चंदेरी मे दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसके आवेदन पत्र पर से प्र0पी02 की रिपोर्ट लेखवद्ध की गई थी जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने शादी के दिन से ही उसे शारिरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरेपीगण नगद राशि एवं फोर व्हीलर की दहेज मे मांग करते थे। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी लुकमान उससे पैसे की मांग करता था। अ.सा.1 ने अपने कथन मे इस बात से इंकार किया है कि आरोपी लुकमान कहता था कि उधारी चुकाना है इसलिये पैसे लाओ। अ.सा.1 ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी लुकमान ने उसके साथ सबके सामने मारपीट की थी। अ.सा.1 ने पुलिस कथन प्र0पी04 का ए से ए भाग देने से इंकार किया है।
- 08— अ.सा.2 आसमां परवीन ने अपने कथन मे बताया है कि फरियादिया उसकी पुत्री है जिसका विवाह आरोपी लुकमान से हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार विवाह

उपरांत घरेलू बातचीत को लेकर उसकी पुत्री का आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था। अ.सा.2 ने भी अपने कथन में इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण उसकी पुत्री के साथ मानसिक प्रताडना करते थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण तीन लाख रूपये एवं फोर व्हीलर गाडी की मांग दहेज में करते थे। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी05 का ए से ए भाग देने से इंकार किया है।

- 09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है मामले की फरियादी एवं साक्षी पक्षद्रोही हो गये है। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन की कहानी का सर्मथन नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फरियादिया के साथ शारिरिक एवं मानसिक प्रताडना कारित की। मामले की फरियादिया ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फोर व्हीलर एवं नगद राशि की दहेज में मांग की थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण मे मामले की फरियादिया ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके आरोपीगण द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग की गई या दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित करते हुए फरियादिया को शारिरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया।
- 10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादिव की धारा 498ए/34 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 101- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

13— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)